न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टपूकडा (खैरथल–तिजारा) राज0

पीठासीन अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
172 / 2025	23.05.2025	06/05/2026

उनवान

1 अख्तर पुत्र श्री जुहरू

2– अनीस पुत्र श्री उमरदीन

3–रहीस

4–जफरू

5–उन्नस

6–इलियास या पुत्रान श्री आसमौहम्मद

7–जुहरखां पुत्र श्री मंगतू

8–जाकिर पुत्र श्री जुहरू

9–दीनू पुत्र श्री फिरोजखां

10– नसरू पुत्र श्री मंगतू

11– मुबारिक पुत्र श्री जुहरू

12– लल्लु खां

13– मजीद पुत्रान श्री मल्लम

14– रसीद

15– हसन पुत्रान श्री मिहरू

16– मौहम्मदीन पुत्र श्री सुलेखां

17– सददाम पुत्र श्री उमरदीन

18– सिराजूदीन पुत्र श्री उमरदीन

19– हुसैन पुत्र श्री जुहरू जाति मेवान निवासीगण ग्राम मयापुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा (राज०)

–:वादीगण

बनाम

उपखण्ड अधिकारी
टपूकड़ा (खैरथल–तिजारा)

थान सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, टपूकडा जिला खैरथल तिजारा ज०)

—:असल प्रतिवादी

2— अनीषा पुत्र श्री उमरदीन

3— अफसाना पुत्री श्री उमरदीन

4— आसीनी पुत्री श्री फिरोजाखां

5— ऐमना पत्नी श्री उमरदीन

6— बिलकेश पुत्री श्री उमरदीन

7— सुबानी पुत्री श्री फिरोजखां

8—हुसैनी पुत्री श्री फिरोजखां

9— हाजरा पुत्री श्री फिरोजखां जाति मेवान निवासीगण ग्राम मयापुर तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा (राज०)

:— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: अन्तिम निर्णय ::—

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा नं. 294 मिन रकबा 13 बिस्वा, 294 मिन रकबा 11 बिस्वा 294 मिन रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा 294 मिन रकबा 12 बिस्वासन 294 मिन रकबा 12 बिस्वा, 294 मिन रकबा 12 बिस्वा, 294 मिन रकबा 12 बिस्वा, 294 मिन रकबा 10 बिस्वा, 295 रकबा 6 विस्वा, 296मिन रकबा बीघा 3 बिस्वा, 296 मिन रकबा 9 बिस्वा, जिनके हाल आराजी खसरा नं. 436 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 437 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 438 रकबा 0.58 हैक्टेयर, 439 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 440 रकबा 0. 15 हैक्टेयर, 441 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 442 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 443 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 445 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 446 रकबा 0.11 हैक्टेयर बनाये गये है, जो वाके ग्राम दांगनहेडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल तिजारा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी इस वाद में विवादित भूमि कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा साबिक रिकार्ड, जमाबन्दी सं. 2029, मिलान क्षेत्रफल व हाल जमाबन्दी सलंग्न वाद पत्र है। उक्त विवादित आराजी जो कि हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज मंगतू पुत्र भोला, घौताली पुत्र इमामखां की समभाग खातेदारी की आराजी थी। जिनके नाम साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2003, 2009 से 2012, 2017 से 2020 में अमल दरामद रहा है। उपरोक्त साबिक रिकार्ड में हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्व मंगतू व धौताली के नाम का विधि सम्मत अमल रहा है, जो अपने

उपखण्ड अधिकारी
टपूकड़ा (खैरथल–तिजारा)

ल में अपनी आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते रहे है। मरने के बाद हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण जो कि मंगत व धौताली के विधिक सान है और अपने पूर्वजो से विरासत से मिली भूमि पर जन्म से ही काबिज व दाखिल ले आ रहे है तथा मौके पर वास्तविक कब्जा है। सजरा अलग से पेश किया जा रहा है। उपरोक्त साबिक आराजी में हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज मंगतू व धौताली नाम का अमल रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रादुर्भाव के समय वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज मंगतू व धौताली काबिज काश्तकार थे तथा इसी प्रकार जमीदारी बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के समय भी बदस्तूर आराजी पर काबिज व दाखिल रहे थे, जिनकों बाई आपरेशन ऑफ लॉ आराजी में स्वतः ही खातेदारी हकूक प्राप्त हो गये थे। जिससे उनके नाम मालिकाना अंकन साबिक रिकार्ड में स्पष्ट हो रहा है। परन्तु सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2029 बनाते समय साबिक आराजी खसरा नं. 294मि रकबा 13 बिस्वा, 294मिन रकबा 11 बिस्वा, 294मिन रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा. 294 मिन रकबा 12 बिस्वा, 294 मिन रकबा 10 विश्वा, 205 रकबा 6 बिस्वा, 296 मिन रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 296 मिन रकबा 9 विस्वा, के हाल आराजी खसरा नं. 436 रकबा 0. 17 हैक्टेयर, 437 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 438 रकबा 0.58 हेक्टेयर, 439 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 440 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 441 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 442 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 443 रकबा 0. 12 हैक्टेयर, 445 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 446 रकबा 0. 11 हैक्टेयर बनाये गये और गलत रूप से हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम के अमल को हजफ कर, अनरिकार्ड का अंकन कर दिया। जबकि सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2029 बनाते साबिक रिकार्ड के अनुसार मालिकाना व कब्जा के आधार पर खातेदारी का अंकन करना चाहिये था लेकिन सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने खिलाफ साबिक रिकार्ड, खिलाफ मौका जाकर गलत अमल किया है और अब हाल जमाबन्दी में हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदारी का अमल चला आ रहा है। जो गलत अमल हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी, प्रभाव शून्य है। जिसे इसी कदर बातिल वो बेअसर करार दिलाकर हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है तथा विवादित आराजी में गैरखातेदारी के अमल को हजफ कराकर हम वादीगण विवादित आराजी के स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल कराकर ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने के वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अधिकारी है। उक्त विवादित आराजी जो कि हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को अपने पूर्वज से विरासत से प्राप्त हुई है। हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण आराजी पर बदस्तूर काबिज व दाखिल होकर 71 शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण को कानून कायदे की कतई जानकारी नहीं रही है और ना ही वादीगण को गलत अमल की पूर्व में कोई जानकारी रही है। हम वादीगण को उक्त आराजी पर अपनी घरेलु व कृषि जरूरत के लिए राशि की आवश्यकता हुई और आराजी को बैंक में रहन रखकर पैसे लेने का मन बनाया तो हल्का पटवारी के पास जाकर उक्त आराजी की जमाबन्दी का अवलोकन किया तो विवादित आराजी में हम बादीगण च तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदारी का अंकन होना पाया। जिस पर साबिक रिकार्ड व अन्य दस्तावेजात की नकुलात प्राप्त कर कानूनी राम मशवरा किया तो इस गलत अंकन की जानकारी हुई। जिस पर हम वादीगण ने दिनांक 24.05.2025 को असल प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार को सारे तथ्य बताकर व दस्तावेजात दिखाकर विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
टपूकड़ा (खैरथल–तिजारा)

स्त करने का दिया, जिस पर असल प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार ने गलत अमल को ा करने से मना कर दिया व विवादित आराजी से वादीगण व तरतीनी प्रतिवादीगण को खल करने व विवादित आराजी को कब्जेराज लेकर किसी दीगर आदमी को अलोट करने की धमकी दी है। यदि असल प्रतिवादी सं. 1 अपने इन नापाक व दूषित इरादो में कामयाब हो गया तो हम वादीगण व तरतीची प्रतिवादीगण को अजहद हानि होगी, दीगर मुकदमाबाजी में उलझना पडेगा। हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को अपने पूर्वजो से विरासत से मिली आराजी से महरूम होना पडेगा, दीगर मुकदमाबाजी में उलझना पड़ेगा, जिसकी पूर्ति किसी भी तरह रूपयो में आंकी जाना सम्भव नहीं होगी। इसलिए हम वादीगण, असल प्रतिवादी सं. 1 को जरिये हुक्मईन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। विवादित आराजी में हम वादीगण के कानूनन हित निहित है। विवादित आराजी हम वादीगण को अपने पूर्वज से विरासत से प्राप्त हुई है। अब मौके पर वादीगण का विवादित आराजी पर वास्तविक कब्जा चले आ रहे है। डिकी इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की पारित की जावें कि विवादित साबिक आराजी खसरा नं. 294 मिन रकबा 13 बिस्वा, 294मिन रकबा 11 बिस्वा, 294 मिन रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 294 मिन रकबा 12 बिस्वा, 294 मिन रकबा 12 बिस्वा, 294 मिन रकबा 12 बिस्वा, 294 मिन रकबा 12 बिस्वा, 294 मिन रकबा 10 बिस्वा, 295 रकबा 6 बिस्वा, 296 मिन रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 296 मिन रकबा 9 बिस्वा, जिनके हाल आराजी खसरा नं. 436 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 437 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 438 रकबा 0.58 हैक्टेयर, 439 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 440 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 441 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 442 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 443 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 445 रकबा 0.29 हैक्टेयर, 446 रकबा 0.11 हैक्टेयर बनाये गये है, जो वाके ग्राम दांगनहेडी तहसील टपूकडा जिला सखैरथल तिजारा में स्थित है। उक्त विवादित आराजी जो कि हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज मंगतू पुत्र भोला, धौताली पुत्र इमामखां की समनाग खातेदारी की आराजी थी। जिनके नाम साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2003, 2000 से 2012, 2017 से 2020 में अमल दरामद रहा है। उपरोक्त साबिक रिकार्ड में हम यादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्व मंगतू व घौताली के नाम का विधि सम्मत अमल रहा है, जो अपने जीवनकाल में अपनी आराजी पर काबिज व दाखिल होकर कारत कारोबार करते रहे है। जिनके मरने के बाद हम वादीमण व तरतीबी प्रतिवादीगण जो कि मंगत व धौताली के विधिक वारिसान है और अपने पूर्वजो से विरासत से मिली भूमि पर जन्म से ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर वास्तविक कब्जा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रादुर्भाव के समय यादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज मंगतू व धौताली काबिज काश्तकार थे तथा इसी प्रकार जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के समय भी बदस्तूर आराजी पर काबिज व दाखिल रहे थे, जिनकों बाई आपरेशन ऑफ लॉ आराजी में स्वतः ही खातेदारी हकूक प्राप्त हो गये थे। जिससे उनके नाम मालिकाना अंकन साबिक रिकार्ड में स्पष्ट हो रहा है। परन्तु सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2029 बनाते समय साबिक आराजी खसरा नं. 294 मिन रकबा 13 बिस्था, 294 मिन रकबा 11 बिस्वा, 294 मिन रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 294 मिन रकबा 12 बिस्वा, 294 मिन रकबा 12 बिस्वा, 294 मिन रकबा 12 बिस्या, 294 मिन रकबा 12 बिस्वा, 294मिन रकबा 10 बिस्वा, 295 रकबा 6 बिस्वा, 298 मिन रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 296 मिन रकबा 9 बिस्या, के हाल आराजी खसरा नं. 436 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 437 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 438 रकबा 0.58 हैक्टेयर, 439 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 440 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 441 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 442 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 443 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 445

उपखण्ड अधिकारी
टपूकड़ा (खैरथल–तिजारा)

0.29 हैक्टेयर, 446 रकबा 0.11 हैक्टेयर बनाये गये और गलत रूप से हम वादीगण तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज के नाम के अमल को हजफ कर, अनरिकार्ड का अंकन कर दिया। जबकि सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2029 बनाते साबिक रिकार्ड के अनुसार मालिकाना व कब्जा के आधार पर खातेदारी का अंकन करना चाहिये था लेकिन सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने खिलाफ साबिक रिकार्ड, खिलाफ मौका जाकर गलत अमल किया है और अब हाल जमाबन्दी में हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदारी का अमल चला आ रहा है। जो गलत अमल हम वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पावन्दी, प्रभाव शून्य है। जिसे इसी कदर बातिल वो बेअसर करार दिलाकर हम यादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण विवादित्त आराजी के खातेदार काश्तकार है तथा विवादित्त आराजी में गैरखातेदारी के अमल को हजफ कराकर हम वादीगण विवादित आराजी के स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल कराकर ईश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने के वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजि0 समन नोटिस तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का पैरा संख्या 01 स्वीकार है कि वाके ग्राम दाँगनहेड़ी के साबिक आराजी खसरा नम्बर 294 मिन रकबा 13 बिस्वा, 294 मिन रकबा 11 बिस्वा, 294 मिन रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 294 मिन रकबा 12 बिस्वा, 294 मिन रकबा 12 बिस्वा, 294 मिन रकबा 12 बिस्वा, 294 मिन रकबा 10 बिस्वा, 294 रकबा 06 बिस्वा, 296 मिन रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 296 मिन रकबा 9 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 436 रकबा 0.17 हेक्ट., 437 रकबा 0.14 हैक्ट., 438 रकबा 0.58 हैक्ट., 439 रकबा 0.15 हैक्ट., 440 रकबा 0.15 हैक्ट., 441 रकबा 0.15 हैक्ट., 442 रकबा 0.15 हैक्ट., 443 रकबा 0.12 हैक्ट., 445 रकबा 0.29 हैक्ट., 446 रकबा 0.11 हैक्ट. से बने है।. वादीगण का पैरा संख्या 02 स्वीकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी सम्वत 2009 लगायत 2012, 2017 लगायत 2020 में मंगतु पुत्र भोला, धौताली पुत्र इमामखाँ समभाग सा०देह रिकार्ड दर्ज है। वादीगण का पैरा संख्या 03 स्वीकार है कि वाद में वर्णित आराजी पर वादीगण का मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार कब्जा काश्त इनके पूर्वजों से चला आ रहा है। वादीगण का पैरा संख्या 04 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार है। वादीगण का पैरा संख्या 05 राजस्व रिकॉर्ड की जद तक स्वीकार है, शेष स्वयं सिद्ध करें। वादीगण का पैरा संख्या 06 राजस्व रिकॉर्ड की जद तक स्वीकार है। शेष स्वयं सिद्ध करें। वादीगण का पैरा संख्या 07 स्वीकार नहीं है। वादीगण का पैरा संख्या 08 स्वयं सिद्ध करें। वादीगण का पैरा संख्या 09 रिकॉर्ड की जद तक स्वीकार है। शेष स्वयं सिद्ध करें। वादी गण का पैरा संख्या 10 न्यायालय से संबन्धित है। न्यायालय से संबन्धित है। वादी गण का पैरा संख्या 11 न्यायालय से संबन्धित है। वादी गण का पैरा संख्या 12 न्यायालय से संबन्धित है। अतः श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन वाद में हाल आराजी खसरा नम्बर व साबिक खसरा नम्बरों में जमाबन्दी सम्वत 2009 लगायत 2012 व 2013 लगायत 2016 व 2017 लगायत 2020 की जमाबन्दी में वादी के पूर्वज सा०देह रिकॉर्ड दर्ज है तथा भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा सम्वत 2029 में वादी के पूर्वजों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में सा०देह के स्थान पर अनरिकॉर्ड दर्ज रिकार्ड है। श्रीमान न्यायालय को सादर जवाब बिन्दुवार प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
टपूकड़ा (खैरथल–तिजारा)

तीबी प्रतिवादीगण संख्या 02 लगा0 09 की ओर से अधिवक्ता श्री राजसिंह द्वारा नामा पेश परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब दावा पेश नही करने वाब दावा अवसर बन्द किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श 01 लान क्षेत्रफल संवत् 2029, प्रदर्श 2 बन्दोबस्त संवत् 2029, प्रदर्श 3 जमाबन्दी संवत् 2009 से 2012, प्रदर्श 4 जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020, प्रदर्श 5 जमाबन्दी संवत् 2034 से 2037, प्रदर्श 6 जमाबन्दी संवत् 2071 से 2076 प्रदर्श 7 जमाबन्दी 2067 से 2070, प्रदर्श 8 जमाबन्दी संवत् 2063–66 पेश किये।

वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि जमाबन्दी संवत् 2009 से 2012 व 2017 से 2020 में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज मंगतू पुत्र भोला व धौताली पुत्र इमामखां साकिन देह रिकॉर्ड खातेदार दर्ज है। परन्तु सेटेलमेन्ट विभाग ने बिना किसी सक्षम आदेश के वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज मंगतू पुत्र भोला व धौताली पुत्र इमामखां साकिन देह रिकॉर्ड के स्थान पर अनरिकॉर्ड दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज मंगतू पुत्र भोला व धौताली पुत्र इमामखां व वर्तमान में स्वयं वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण वाके ग्राम मयापुर हाल तहसील टपूकडा के ही वासिन्दे है। तथा राज्य सरकार जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार टपूकडा ने वाद के सभी बिन्दुओ को स्वीकार करते हुये लिखित जवाब पेश किया है। राजस्थान राजस्व विभाग व राजस्व मण्डल अजमेर की शब्दावली में अनरिकॉर्ड नाम का कोई उल्लेख नही है। अतः वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को जमाबन्दी संवत् 2009 से 2012 व 2017 से 2020 के अनुसार साकिन देह खातेदार घोषित किये जाने की कृपा करे।

वकुलाय फरीकेन बहस मनन, तहसीलदार टपूकडा द्वारा पेश जवाब दावा में वाद पत्र के सभी बिन्दुओ स्वीकारोक्ती तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2009 से 2012 व 2017 से 2020 एवं उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादी इस कदर डिक्री किया जाता है कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को वाके ग्राम दांगनहेडी के हाल आराजी खसरा नं. 436 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 437 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 438 रकबा 0.58 हैक्टेयर, 439 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 440 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 441 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 442 रकबा 0.15 हैक्टेयर, 443 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 445 रकबा 0. 29 हैक्टेयर, 446 रकबा 0.11 हैक्टेयर में अनरिकॉर्ड के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का पारित डिक्री अनुसार अंकन किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 06/05/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया जाकर न्यायालय मुद्रा व मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(लाखन सिंह गुर्जर R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी,
टपूकड़ा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
टपूकड़ा (खैरथल–तिजारा)